न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अतहर आमिर उल शफि खान आई.ए.एस.

करण संख्या 42/2019

उनवान

1 श्रीमति रामुदेवी पत्नी श्री बंशीलाल कुमावत नि0हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़,भीलवाडा –प्रार्थीया

बनाम

1 श्री भेरू लाल पिता श्री गोपी गुर्जर निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2 श्री सत्यनारायण पिता श्री देवीलाल सुथार निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3 श्री श्यामलाल पिता श्री देवीलाल सुथार निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4 श्री केलाश पिता श्री देवीलाल सुथार निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
5 श्री रामेश्वर लाल पिता श्री उत्सव लाल भटट् निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
6 श्री महेश पिता श्री उत्सव लाल भटट् निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
7 श्री रामपाल पिता श्री रामा लुहार निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
8 श्री बाला बापु नागा पिता श्री शिव शंकर नागा निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
9 श्री राकेश पिता श्री सत्यनारायण मंडोवरा निवासी भीलवाडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
10 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 13.08.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूॅ–राजस्व अधिनियम 56 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 23.07.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है ग्राम हमीरगढ़ पटवार का हमीरगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी बर 1375 रकबा 0.8219 बीघा,आराजी स0 1423 रकबा 0.8852 आराजी स0 1424 रकबा 0.1138 आराजी 1425 रकबा 0.0126 आराजी स0 1426 रकबा 0.5184 कुल किता 05 कुल रकबा 2.3519 भूमि स्थित वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह ी होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी षि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान राया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.07.2019 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीया एवं प्रार्थी सं0 1 व 10 उपस्थित। विपक्षी संख्या 02 से लगायत 09 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का वसर देने के उपरान्त उपस्थित नही हुऐ है। अतः न्यायहित में विपक्षी संख्या 02 से लगायत 09 के विरूद्ध क तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। स्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। करण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने ा अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का ोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को खते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर एव पूर्व मे प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत ाराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाने से प्रकरण में कानून ांति व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुऐं। प्रार्थीया का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कानून शांति व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुए हसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ भू–अभिलेख नेरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1375 रकबा 0.8219 ोघा,आराजी स0 1423 रकबा 0.8852 आराजी स0 1424 रकबा 0.1138 आराजी स0 1425 रकबा 0.0126 ाराजी स0 1426 रकबा 0.5184 कुल किता 05 कुल रकबा 2.3519 भूमि कि पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड कार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 000/– पक्षकार प्रार्थीया राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थीया पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल ुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Scanned by CamScanner